रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2017/पौष 16, 1938
No. 34] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2017/PAUSA 16, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2017

का. आ. 37(अ).—दिनांक 17.08.2006 को अधिसूचित तथा दिनांक 16.05.2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक की अर्हता, शक्ति और कार्य नियमावली, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा श्रीजनक कुमार गर्ग, मुख्य परियोजना प्रबंधक (रोलिंग स्टॉक), नागपुर मैट्रो रेल कारपोरशन लिमिटेड (एनएमआरसीएल) को इस अधिसूचना की तारीख से एनएमआरसीएल में उनके कार्यकाल तक, उपर्युक्त नियम में उल्लिखित अर्हता और शर्त को पूरा करने के अध्यधीन एनएमआरसीएल के लिए मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी,समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, एनएमआरसीएल के अधिकार वाले क्षेत्रों में प्रचालनाधीन वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक अथवा एनएमआरसीएल के नियंत्रणाधीन/एनएमआरसीएल से संबंधित कार्यों तथा सभी वैद्युत संस्थापनाओं के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करेंगे और अपना कार्य निष्पादित करेंगे।

एनएमआरसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि श्रीजनक कुमार गर्ग एनएमआरसीएल में मुख्य परियोजना प्रबंधक (रोलिंग स्टॉक) के रूप में दिये गये कार्यों के संबंध में मुख्य वैद्युत निरीक्षक नहीं होंगे।

वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/5/2016-आरएण्डआर]

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2017

S.O. 37(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions for Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 notified on 17.8.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints Sh. Janak Kumar Garg, Chief Project Manager (Rolling Stock), Nagpur Metro Rail Corporation Ltd. (NMRCL) as Chief Electrical Inspector for NMRCL, from the date of this Notification till his tenure in NMRCL, subject to fulfillment of the qualification and Condition mentioned in the above Rule.

The above mentioned officer shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by the NMRCL or in respect of works and all electrical installations under the control of NMRCL /belonging to NMRCL as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

NMRCL will ensure that Sh. Janak Kumar Garg will not be the Chief Electrical Inspector in respect of the work assigned to him as Chief Project Manager (Rolling Stock) in NMRCL.

The person appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/5/2016-R&R]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.01.07 09:58:42 +05'30'